हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(I.S.O. 9001 : 2008 - Certified Organization)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु नौंवी एवं ग्यारहवीं के एनरोलमैंट रिटर्न हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथियों बारे ।

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय मान्यता प्राप्त एवं इन बोर्ड से स्थाई/अस्थाई सम्बद्वता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा नौंवी एवं ग्यारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए एनरोलमैंट रिटर्न ऑन–लाईन भरी जानी हैं । इसके लिए हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 100/– रूपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों से प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 150/– रूप्ये प्रति विद्यार्थी है । एनरोलमैंट रिटर्न ऑन लाईन तिथियां निम्न प्रकार से हैं:–

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	100/– रू विलम्ब शुल्क सहित	200/– रू विलम्ब शुल्क सहित	300/– रू॰ विलम्ब शुल्क सहित	1000/– रू॰ विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियां
नौंवी एवं ग्यारहवीं	12.12.2017 से 10.01.2018	11.01.2018 से 17.01.2018	18.01.2018 से 24.01.2018	25.01.2018 से 31.01.2018	01.02.2018 से 07.02.2018	08.02.2018 से 14.02.2018

अतः सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमैंट रिटर्न के आवेदन–पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क (ऑन–लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें । कक्षा नौंवी एवं ग्यारहवीं के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार कार्ड अनिवार्य है । शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए कक्षा नौंवी के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का वैल्कपिक विषय (छठा विषय) लिखा जाना आवश्यक है । एनरोलमैंट शुल्क केवल **Gateway Payment** के माध्यम से स्वीकार की जायेगी । इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर उपलब्ध हैं ।

सहायक सचिव (एनरोलमैंट)

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

(आई.एस.ओ. 9001–2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

महत्वपूर्ण निर्देश

विषयः– शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु कक्षा नौंवी व ग्यारहवीं की एनरोलमैंट रिटर्न ऑनलाईन भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्थाई/अस्थाई सम्बद्वता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा नौंवी व ग्यारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए "एनरोलमैंट रिटर्न" ऑनलाईन रिटर्न भरी जानी हैं । इस बारे में सभी सम्बन्धित को निम्न अनुसार सूचित किया जाता है:–

हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 100/– रूपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों से प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 150/– रूपये प्रति विद्यार्थी है ।

"एनरोलमैंट रिटर्न" ऑन लाईन भरने की तिथियां निम्न प्रकार से हैं:–

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	100/– रू विलम्ब शुल्क सहित	200/– रू विलम्ब शुल्क सहित	300/– रू॰ विलम्ब शुल्क सहित	1000/– रू॰ विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियां
नौंवी एवं ग्यारहवीं	12.12.2017 से 10.01.2018	11.01.2018 से 17.01.2018	18.01.2018 से 24.01.2018	25.01.2018 से 31.01.2018	01.02.2018 से 07.02.2018	08.02.2018 से 14.02.2018

1. सभी सम्बन्धित संस्थायें अपने विद्यार्थियों के "एनरोलमेंट रिटर्न" के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित ऑन–लाईन भरना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय का पासवर्ड जो पहले ही निर्धारित है, वही रहेगा तथा यूजरआईडी विद्यालय की मेल पर भेज दी गई है ।
2. एनरोलमेंट हेतु शुल्क **Debit Card, Credit Card and Net Banking** के द्वारा केवल "भुगतान गेटवे" (Payment Gateway) के माध्यम से भरा जाना है।
3. यह कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नम्बर 01664–254300 एवं 01664–254309 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यदि हैल्पलाईन में सही जानकारी नहीं दी जा रही या समस्या का हल नहीं हो पा रहा है तो इस बारे में asenr@bseh.org.in पर मेल भेजी जा सकती है या सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के दूरभाष नं. 01664–244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
4. इस समय कक्षा नौंवी एवं ग्यारहवीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमेंट भरे जाने हैं जिन्हें शैक्षिक सत्र 2017–18 में प्रवेश दिया गया है।
5. जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया गया है उनके एनरोलमेंट फार्म दौबारा नहीं भरे जाने हैं।
6. विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरांत उनमें किसी प्रकार की शुद्धि के लिए विद्यालयों को शैडूयल में समय दिया गया है। विद्यालय स्तर पर हुई त्रुटि का यदि किसी विद्यालय द्वारा समय पर समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसी त्रुटि में संशोधन के लिए प्रति त्रुटि 300/– रूपये शुल्क अदा करना होगा।
7. बोर्ड की वैबसाईट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय उक्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :–

CERTIFICATES:-

vi) The Spelling of the Name, Father's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students has been made in time.

vii) The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.

viii) It has been checked that the students admitted have not been disqualified by any Board/University of India.

ix) All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to Board's rules.

x) a. The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left over.

b. We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolmen carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found the School will be responsible.

c. It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible.

8. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था द्वारा किसी छात्र को गलत तरीके से प्रवेश दिया गया है तो उस छात्र की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो उसकी सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता समाप्त करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा।

9. जिन संस्थाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

10. एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।

11. एनरोलमैन्ट रिटर्न पर विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो "विद्यालय ड्रैस" मे होनी चाहिए तथा उस पर तिथि भी अंकित हो।

12. शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए कक्षा <u>नौंवी एवं ग्यारहवीं</u> के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नं. लिखा जाना आवश्यक है ।

13. शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए कक्षा नौंवी के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का वैल्कपिक विषय (छठा विषय) लिखा जाना आवश्यक है ।

14. यदि विद्यार्थी एनरोलमैंट के पात्र नहीं पाए जाते हैं तो ऐसें विद्यार्थियों को एनरोलमैंट नम्बर जारी नहीं किया जायेगा तथा उनकी शुल्क भी वापिस नहीं किया जाएगा ।

नोट :– नौवीं एवं ग्यारहवी की एनरोलमेंट रिटर्न में भरे गए विवरण को ही <u>सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी</u> परीक्षा के आवेदन–पत्र ऑनलाईन भरते समय उठाया जायेगा यदि किसी विद्यार्थी को एनरोलमैन्ट जारी नहीं हुआ है तो उसका परीक्षा आवेदन पत्र भी आर्न–लाईन नहीं भरा जा सकेगा। अतः कृपया विद्यार्थियों का विवरण सही एवं रिकार्ड के अनुसार ही भरा जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सहायक सचिव (एनरोलमैंट)